न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **152 / 2020**
GCMS NO. 2020 / 00282

1. मु0 जमना देवी पुत्री स्व0 श्री गणपत पत्नी श्री नाथूराम आयु 85 वर्ष , जाति जांगिड़, निवासी आबूसर, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज0) **(मृतका)**

1 / 1 तीजु देवी पत्नी प्रभूदयाल माता स्व0 जमना देवी आयु 48 वर्ष निवासी कशेरू जिला झुन्झुनू (राज0)

1 / 2 हनुमान सिंह पुत्र नाथाराम माता स्व0 जमना देवी आयु 39 वर्ष

1 / 3 शीशपाल जांगिड पुत्र नाथाराम माता स्व0 जमना देवी आयु 46 वर्ष
जाति खाती, निवासीगण दुर्जनपुरा जिला झुन्झुनू (राज0)

2. नागर पुत्र श्री स्व0 गणपत आयु 65 वर्ष , जाति जांगिड़ निवासी हीरा की ढाणी तन् कृष्ण नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0) मोबाईल नं. 7568983643

..... वादीगण

बनाम

1. कुरडा पुत्र स्व0 गणपत आयु 70 वर्ष जाति खाती निवासी हीरा की ढाणी ढाणी कृष्ण नगर ग्राम बडाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुझुनू (राज0)
2. शान्ति देवी पत्नी पूरण आयु 80 वर्ष
3. मदन लाल आयु 60 वर्ष
4. राजेश आयु 55 वर्ष
5. औमप्रकाश आयु 52 वर्ष
6. सुरेश आयु 48 वर्ष
   पुत्रान स्व0 पूरण समस्त जाति जांगिड़, निवासीगण हीरा की ढाणी तन कृष्ण नगर , तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)
7. सरोज पुत्री स्व0 पूरण पत्नी सुमेर आयु 58 वर्ष
8. प्रेम पुत्री स्व0 पूरण पत्नी सज्जन आयु 56 वर्ष
   समस्त जाति जांगिड़, निवासीगण किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू (राज0)
9. सविता पुत्री स्व0 पूरण पत्नी रमेश आयु 50 वर्ष जाति जांगिड निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)
10. झीमों देवी पुत्री स्व0 गणपत पत्नी श्री धन्नाराम, आयु 80 वर्ष, जाति जांगिड़ निवासी सुण्डा का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)
11. मुंशी आयु 60 वर्ष
12. औमप्रकाश आयु 58 वर्ष
13. महेन्द्र आयु 56 वर्ष
    पुत्रान प्रहलाद समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण सहजपुर तन् गाडाखेड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज0)
14. सुमित्रा पुत्री प्रहलाद पत्नी रामोतार
15. रतनी पुत्री प्रहलाद पत्नी सुरेश कुमार
    समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण कालेरा का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज0)
16. शकुन्तला पुत्री प्रहलाद पत्नी औमप्रकाश, जाति जांगिड़, निवासी पुरा की ढाणी जिला झुन्झुनू (राज0)
17. कौशल्या पुत्री प्रहलाद पत्नी मोहन जाति जांगिड़ निवासी माजवा की ढाणी, जिला झुन्झुनू (राज0)
18. जगदीश आयु 60 वर्ष
19. राजेन्द्र आयु 58 वर्ष
    पुत्रान रामजीलाल जाति जांगिड़, निवासीगण कैरवाली, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)
20. शारदा पुत्री रामजीलाल पत्नी सांवल राम जांति जांगिड निवासी तिवाडी का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

21. प्रवन्धक, बैंक आफॅ बड़ोदा, शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)
22. राज्य सरकार जरिये भू– स्वामी तहसीलदार , खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री कृष्ण कुमार वर्मा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री सुनील कुमार जांगिड़ अभिभाषक प्रति.संख्या 11 से 20 की ओर से

दावा :– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

–: निर्णय :– **दिनांक :– 02–02–2023**

वादीगण की ओर से दिनांक 05.11.2020 को इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि :–

1. यह कि वाके ग्राम श्रीकृष्ण नगर, पटवार हल्का बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0) में स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 – 2079 हाल खाता संख्या 05 के हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 1.43 हैक्टर , खसरा नम्बर 492 रकबा 6.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 8.18 हैक्टर में वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 01 एंव प्रतिवादी संख्या 02 के पति व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 के पिता स्व0 पूरण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि गत खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 179 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा नम्बर 1, कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा , गत खाता संख्या 181 के खसरा नम्बर 264 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा जो जमाबन्दी सम्वत 2012 में वादीगण के पिता एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता , प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर प्रतिवादी संख्या 03 लगयत 09 के दादाजी एंव प्रतिवादी संख्या 10 के पिता, प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 20 के नानाजी स्व0 गणपत की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है से बनी है।
3. यह कि स्व0 गणपत की वंशावली निम्न प्रकार है:–

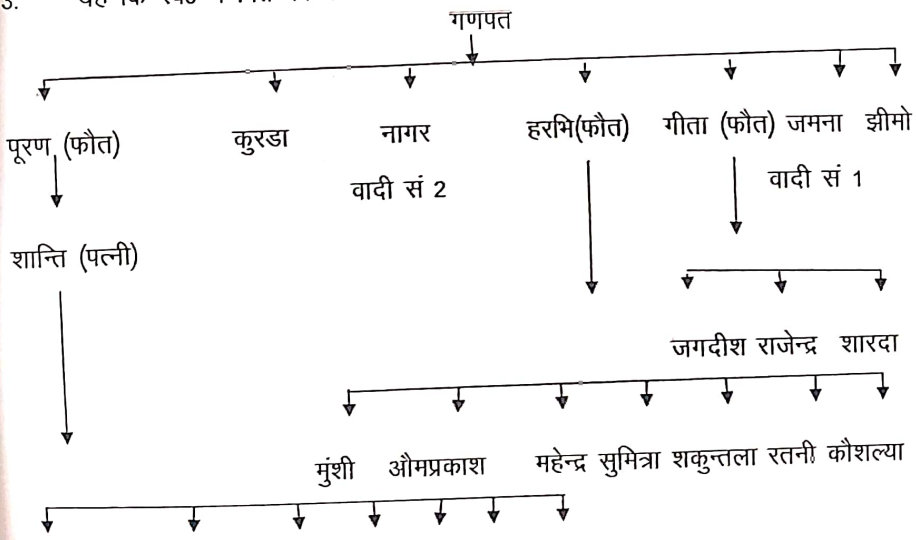

4. यह कि वादिया संख्या 1 स्व0 गणपत की जाईन्दा पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 10 जाईन्दा पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 17 की माताजी स्व0 हरभि तथा प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 की माताजी स्व0 गीता जो कि स्व0 गणपत की पुत्रियां है इस प्रकार वादिया संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 10 स्व0 हरभी स्व0 गीता चारों सगी बहने है जो कि स्व0 गणपत की जाईन्दा पुत्रीयां हैं जो उपरोक्त वर्णित भूमि में वादिया संख्या 1 का 1/7 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 10 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 17 की माताजी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

स्व0 हरभी देवी , प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 की माताजी स्व0 गीता देवी का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है मगर पटवारी हल्का वडाऊ ने जानवूझकर वादिया संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 10 प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 17 की माताजी स्व0 हरभी , प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 की माताजी स्व0 गीता देवी के नाम वाद वर्णित भूमि के इन्तकाल विरासतन में नही भरे , वाद ग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 , प्रतिवादी संख्या 2 के पति स्व0 पूरण, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 के पिता स्व0 पूरण, प्रतिवादी संख्या 10 प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 17 की माताजी स्व0 हरभी देवी तथा प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 की माताजी स्व0 गीता देवी की पैत्रक सम्पति है। इसलिए वाद वर्णित भूमि में वादिया संख्या 1 एंव प्रतिवादी संख्या 10 एंव प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 17 की माताजी स्व0 हरभी देवी एंव प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 की माताजी गीता देवी प्रत्येक का 1/7 हिस्से की भूमि की हिस्सेदार है । इसलिए वादिया संख्या 1 के लिए खातेदार काश्तकार घोषित करवाना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा , एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 का संयुक्त रुप से 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 का 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 17 का संयुक्त रुप से 1/7 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 का संयुक्त रुप से 1/7 हिस्सा वनता है।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि को वादीगण एंव प्रतिवादीगण संयुक्त रुप से काश्त करते आ रहे है तथा उसकी उपज का आपस में हिस्से के अनुसार बंटवारा कर लेते है उक्त आराजीयात का बंटवारा नही हुआ है वर्तमान में उक्त आराजीयात पर का खाता सामलाती है प्रत्येक इंच पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण का कब्जा है।

7. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 वादान्तर्गत भूमि पर जवरन लठ के वल पर कब्जा कर ,खुर्द बुर्द करने व तामिर कार्य कर वादीगण के चले आ रहे शान्ति पूर्ण कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने पर आमादा है। वादान्तर्गत भूमि पर वादीगण ने गत खरीद की फसल के रुप में बाजरे की कटाई की है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

8. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 चालाक किस्म के लड़ाकू, झगडालू प्रवृति के प्रभावशाली व्यक्ति है तथा संख्या में अधिक है वादीगण सीधे – सादे तथा कानून में आस्था विश्वास रखने वाले शान्ति प्रिय व्यक्ति है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 जवरन लठ के बल पर यदि वादीगण के शान्ति पूर्ण चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने के नापाक मतसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नही किया जा सकेगा। एंव कई एक कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी तथा लड़ाई झगडा होगा एंव अनावश्यक मुकदमा वाजी बढेगी जिससे वादीगण को ऐसी हानि होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं हो सकता और प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी।

9. यह कि वाद के लिए आधार विवाद वादीगण संख्या 1 का नाम इन्तकाल में विरासतन में दर्ज नही करने तथा गत दिनों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा जवरन लठ के वल पर वादिया संख्या 1 के शान्ति पूर्व चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने एंव वादीगण के हिस्से की भूमि को खुर्द – बुर्द करने , लठ के बल पर जबरन कब्जा करने, पुख्ता तामिर कार्य करने , कब्जे काश्त में बाधा कारित करने , बेदखल करने एंव जान से मारने की धमकी देने से पैदा हुआ है , तथा दावा घोषणा के लिए कोई अवधि नियत नही है। दावा सावधि पेश है।

10. यह कि वाद वर्णित भूमि न्यायालय श्रीमान्जी के सीमा क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम श्रीकृष्णनगर, पटवार हल्का बड़ाऊ में होने से यह वाद न्यायालय श्रीमान्जी को सुनने का अधिकार प्राप्त है।

11. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के क्रमांक 3 व 5 के अनुसार वाद अन्दर मियाद पेश है।

12. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के क्रमांक 3 व 5 के अनुसार यह वाद दो रुपये कोर्ट फीस पर पेश है।

13. यह कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन नहीं है।

14. यह कि उक्त वाद अपटूडेट हाल जमाबन्दी के साथ पेश किया है वादीगण दौराने दावा वाद वर्णित भूमि को विक्रय, दान, रहन, व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करेंगें। जिसके समर्थन में वादी अपना शपथ – पत्र पेश करता है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) कि जमाबन्दी सम्वत् 2076 – 2079 हाल खाता संख्या 05 के हाल खसरा नम्बर 351 रकवा 1.43 हैक्टर , खसरा नम्बर 492 रकवा 6.75 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकवा 8.18 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

में वादी संख्या 1 के हिस्से 1/7 की खातेदार घोषित फरमाया जावें एंव फलस्वरुप अन्य हिस्सेदारों के हिस्से में तद्नुसार परिवर्तन किया जावें।

(ख) कि वाद वादीगण संख्या 1 को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड जमावन्दी खाता संख्या 5 को तदनुसार संशोधित होने योग्य घोषित किया जाकर दुरूस्ती रिकार्ड किया जावें।

(ग) कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वादीगण जब तक न्यायालय श्रीमान्जी से विधिवत् कराके कब्जा हासिल न कर ले, वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि के किसी भी भाग या अंश पर कब्जा ना करें खुर्द वुर्द ना करें तामिर कार्य ना करें, या अन्य किसी को दान, बंधक, विक्रय, रहन, हस्तान्तरण आदि न करें ओर ना ही अपने नाम से इन्तकाल विरासतन दर्ज करवा कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करावें ऐसा वे न स्वंय करें, ना ही अपने मित्रों, अनुचरो व रिश्तेदारों आदि से करावें।

(घ) कि अन्य न्याय संगत अनुतोष जो वाद में अंचाचित हो तथा न्यायालय उचित समझे वह वादीगण को दिलाया जावे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 10, 21, 22 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 11 से 20 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का इकबाली जवाब दावा पेश किया कि वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

वादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई :–

1. नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम बड़ाऊ खाता संख्या 5 (प्रदर्श–1)
2. नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम बड़ाऊ (प्रदर्श–2)
3. नकल जमाबन्दी संवत 2012 ग्राम बड़ाऊ खाता संख्या 65, 181 (प्रदर्श–3)
4. नकल जमाबन्दी संवत 2033–36 ग्राम बड़ाऊ खाता संख्या 259 (प्रदर्श–4)
5. नकल जमाबन्दी संवत 2013 ग्राम बड़ाऊ खाता संख्या 122 (प्रदर्श–5)
6. नकल जमाबन्दी संवत 2013 ग्राम बड़ाऊ खाता संख्या 255 (प्रदर्श–6)
7. नकल जमाबन्दी संवत 2029 ग्राम बड़ाऊ खाता संख्या 232 (प्रदर्श–7)
8. मौखिक साक्ष्य में नागर पुत्र गणपत का शपथ पत्र (पी.डब्लू–1)

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रलेखीय दस्तावेजात् व वादीगण के वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया।

वादीगण के मुताबिक स्व. गणपत पुत्र नानग के 7 वारिस पैदा हुये। नकल जमाबन्दी संवत 2012 ग्राम बड़ाऊ के खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 179 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा व खाता संख्या 181 के खसरा नम्बर 264 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा दोनों खातों के कुल किता 3 कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी अकेले गणपत पुत्र नानग कौम खाती के नाम दर्ज रिकार्ड रही है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के हक पूर्वाधिकारी है। नकल जमाबन्दी संवत 2029 ग्राम बड़ाऊ (प्रदर्श–7) से स्पष्ट है कि गणपत पुत्र नानग की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 239 उसके 2 पुत्रों क्रमशः पूरण, कुरड़ा के नाम दर्ज किया गया।

वादीया संख्या 1 का उक्त वाद पत्र के जरिये उज्र है कि उन्हे मृतक पिता गणपत की वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गणपत की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 239 उसके 2 पुत्रों क्रमशः पूरण, कुरड़ा के नाम दर्ज किया गया। हाल राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि स्व. गणपत के तीन पुत्रों क्रमशः कुरड़ा, नागरमल एवं पूरण के नाम हिस्सा 1/3–1/3 दर्ज रिकार्ड है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार माता–पिता की सम्पति में पुत्रियों का भी पुत्रों के समान जन्म से ही अधिकार है। धारा 8 के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दायादों अनुसूचि वर्ग (ए) के अनुसार वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण विधिवत् स्व. गणपत के सभी वारिसों के नाम दर्ज होना

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

चाहिए था, जो नहीं किया गया। वादीगण ने उक्त वाद पत्र के जरिये यह साबित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 स्व. गणपत के विधिक वारिसान है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 179 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 264 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 399 रकबा 1.43 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.08 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 555 रकबा 6.75 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 8.26 हेक्टेयर निर्मित हुये है। ग्राम बड़ाऊ से नया राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर निर्मित होने पर खसरा नम्बर 399 रकबा 1.43 हेक्टेयर से हाल नया खसरा नम्बर 351 रकबा 1.43 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 555 रकबा 6.75 हेक्टेयर से हाल नया खसरा नम्बर 492 रकबा 6.75 हेक्टेयर बने है। गत खसरा नम्बर 180 का रकबा 6 बिस्वा की किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज है जिससे हाल खसरा नम्बर 403 रकबा 0.08 हेक्टेयर निर्मित हुये।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 20 के इकबाली जवाब दावा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :—

अतः गत राजस्व रिकार्ड के आधार पर स्व. गणपत के विधिक वारिसान के नाते वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम **श्रीकृष्णनगर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या नया 5 के हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 1.43 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 6.75 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 8.18 हेक्टेयर में वादी संख्या 1/1 से 1/3 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 10 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 11 से 17 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 18 से 20 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें।

उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02—02—2023 को खुले न्यायांलय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मु0 जमना देवी आदि

बनाम

कुरड़ा आदि

दावा बाबत :– अधिकार घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :– 152/2020
GCMS NO. 2020/00282
निर्णय दिनांक :– 02–02–2023

वादीगण की ओर से **श्री कृष्ण कुमार वर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 11 से 20 की ओर से **श्री सुनिल कुमार जांगिड़ एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–02–2023** को **जय सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"गत राजस्व रिकार्ड के आधार पर स्व. गणपत के विधिक वारिसान के नाते वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम **श्रीकृष्णनगर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या नया 5 के हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 1.43 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 6.75 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 8.18 हेक्टेयर में वादी संख्या 1/1 से 1/3 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 10 को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 11 से 17 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 18 से 20 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **02–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner